



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/ATY-2764/MH/2/2025-RU-1

दिनांक: 06.04.2026

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,  
जिला मुंबई उप नगर,  
कलेक्टर कार्यालय मुंबई उपनगरीय जिला,  
10वीं मंजिल, प्रशासनिक भवन, चेतना कॉलेज के पास,  
सरकारी कॉलोनी, बांद्रा (पूर्व),  
मुंबई 400 051, महाराष्ट्र  
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त, मुंबई,  
महाराष्ट्र सरकार,  
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,  
डी. एन. रोड, कॉफर्ट मार्केट के सामने,  
मुंबई, महाराष्ट्र 400001  
ई-मेल: cp.mumbai@mahapolice.gov.in  
dcpzone5\_mum@mahapolice.gov.in

नगर आयुक्त,  
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी),  
द्वितीय तल, पुरानी बिल्डिंग,  
बीएमसी मुख्यालय, महानगरपालिका मार्ग,  
मुंबई 400001, महाराष्ट्र  
ई-मेल आईडी: mc@mcgm.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति की भूमि सर्वे नम्बर 327/3, 328/11 गांव दहिसर, तहसील वोरिवली, जिला मुम्बई उपनगर, महाराष्ट्र पर भवन विकासक द्वारा अवैध कब्जा करने के संदर्भ में श्री सुरेश काकडया नानकर, निवासी- देवकुर्बाई चाल, हनुमान मंदिर के पास, पेणकर पाडा, भीरा रोड (पूर्व) जिला-ठाणे (महाराष्ट्र) का अभ्यावेदन दिनांक 14/6/2025 के संदर्भ में।


संदर्भ: आयोग का समसख्यक पत्र दिनांक 17-03-2026 (प्रति संलग्न)।

महोदय/महोदया,

घुंके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसारण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष 1, लोक-नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली 110003 में दिनांक 20.04.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुरार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को वाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त शक्ति न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

  
(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in  
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री सुरेश काकडया नानकर,  
निवासी देवकुर्बाई चाल, हनुमान मंदिर के पास,  
पेणकर पाडा, भीरा रोड (पूर्व) जिला-ठाणे (महाराष्ट्र)  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में  
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।